राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 620
07 फरवरी, 2018 को उत्तर के लिए

बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु मुआवज़ा

620. श्री संजीव कुमारः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना के दशकों बाद भी अपनी भूमि खोने वाले लोगों को मुआवज़ा और नौकरी प्रदान करने के प्रावधान के मुद्दे का अब तक निपटान नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूमि खोने वाले व्यक्तियों के वंशज अब भी इस हेतु विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त कारण से कुल कितने लोग गिरफ्तार किए गए और कितनों पर मुकदमा चलाया गया?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क): राज्य सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहित की थी और अपेक्षित प्रतिपूर्ति का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत राज्य सरकार को कर दिया गया था। बीएसएल अब तक 16000 से अधिक विस्थापित व्यक्तियों को पहले ही रोजगार प्रदान कर चुका है। यह संख्या प्रारंभ में विस्थापित के रूप में अभिज्ञात किए गए 6019 परिवारों से कहीं अधिक है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेल बनाम देबी लाल महतो के दिनांक 05.03.2008 (2008 की सिविल अपील संख्या 1774) के मामले में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने से संबंधित सभी लंबित मामलों पर पूर्ण रूप से निर्णय प्रदान कर दिया है और इनका निपटान कर दिया है तथा सेल ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर लिया है।

(ख) और (ग): कानून व्यवस्था का मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

******